गुरुवार, दिनांक 04.08.2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A.No.- 180/2021 के मामले में दिनांक 07-01-2022 को पारित आदेश के आलोक में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अर्न्तगत जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक का वृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A.No.- 180/2021 के मामले में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के सन्दर्भ में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अर्न्तगत जीव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक गुरुवार दिनांक 04.08.2022 को अपराह्न 12:00 बजे सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री के0 सेन्थिल कुमार, भा0प्र0से0, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. श्री एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0, सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।
3. डा0 के0 गणेश कुमार, भा0व0से0, वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना।
4. श्री विशाल आनन्द, संयुक्त निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. डा0 विद्यापति चौधरी, प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।
6. श्री कमल नयन, प्रशासी पदाधिकारी सह-प्रभारी, पी.पी.सेल, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।
7. श्री पीयुष कुमार चन्दन, सहायक निदेशक, जीव चिकित्सा अपशिष्ट कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।
8. डा0 जी0के0 मंडल, वैज्ञानिक, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट कोषांग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग नहीं लिया।

(i). निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना।

(ii). उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, पटना।

बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर O.A.No.- 180/2021 मुकुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। पारित आदेश, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के उचित

निष्पादन एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केन्द्रों के अनुश्रवण एवं निगरानी से सम्बन्धित है। बैठक में नियमावली के सफल क्रियान्वयन के लिए विस्तृत चर्चा की गयी। O.A.No.- 180/2021 में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में कुल 15027 स्वास्थ उपचार सुविधाओं (HCFs) द्वारा अभी भी बिना 'प्राधिकार' (Authorization) प्राप्त किये संचालित है, का उल्लेख है। उक्त 15027 HCFs में से सरकारी 11711 HCFs (APHC एवं HSC) जो अभी तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त नहीं की गयी है। जो पूरे देश में सर्वाधिक पाया गया है। विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(1) निदेशक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एवं प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को समिति द्वारा विशेषज्ञ सदस्य के रूप नामित किया गया था जिसका अनुपालन राज्य पर्षद् द्वारा किया गया।

(अनुपालन- बि0रा0प्र0नि0 पर्षद्)

(2) सदस्य-सचिव द्वारा सूचित किया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर O.A.No.- 180/2021 मामले में मुकुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश क्रियाशील है। पारित आदेश, जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अर्न्तगत जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के समुचित निष्पादन एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के अनुश्रवण नियमित रुप से करना अनिवार्य है। बैठक में O.A.No.- 180/2021 में पारित आदेश के उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में कुल 15027 स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (Health Care Facilities) द्वारा अभी तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार (Authorization) प्राप्त नहीं की गयी है। जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक पाया गया है। उक्त 15027 HCFs में से सरकारी 11711 HCFs (APHCs एवं HSCs) भी प्राधिकार प्राप्त किये बिना संचालित है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को निदेशित किया गया कि सभी APHCs & HSCs स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का संबंधित क्षेत्र के सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र से सम्बद्ध (Tie-up) प्राप्त किया जाय। तत्पश्चात् राज्य में स्थित सभी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का प्राधिकार (Authorization), बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से यथाशीघ्र प्राप्त करना अनिवार्य किया जाय। बिना प्राधिकार प्राप्त सरकारी एवं गैर-सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का संचालन करना माननीय NGT के आदेश का उल्लंघन का मामला बनता है तथा पारित आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रुप में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से अनुपालन करने तक प्रत्येक महीना रु0 एक करोड़ वसूलने का प्रावधान राज्य पर्षद् को प्राप्त है तथा अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है।

(कार्रवाई- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

(3) प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, पी0पी0 सेल, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि तत्काल 1173 शय्यायुक्त सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं कार्यरत है जिसमें 491 शय्यायुक्त सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं द्वारा प्राधिकार (Authorization) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राप्त है तथा शेष 682 शय्यायुक्त स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का प्राधिकार प्राप्त करने हेतु यथाशीघ्र प्रक्रिया शुरु की जायेगी। शेष अन्य सरकारी उपचार सुविधाओं का भी प्राधिकार प्राप्त करने की दिशा में निदेशानुसार आवश्यक पहल किया जायेगा जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्रवाई -राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

(4) वर्तमान में राज्य में कुल चार सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द संचालित है। राज्य पर्षद् द्वारा 2021 में राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (Health Care Facilities) का चिन्हित (Inventorization) करने का कार्य किया गया। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 26478 स्वास्थ्य उपचार सुविधाएँ में से 6608 शय्या वाले स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं स्थापित है। जिसमें कुल शय्या की संख्या 104391 है। सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र की स्थापना से संबंधित C.P.C.B. Delhi के पुनरीक्षित मार्गदर्शिका के अनुसार 10,000 शय्या पर एक CBWTF स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में कुल शय्या की संख्या के आधार पर राज्य में कम से कम 10 सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों का स्थापना एवं संचालन किया जा सकता है। इसलिए राज्य में तत्काल छः अतिरिक्त सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों की स्थापना अपेक्षित है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बिहार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को आपस में विचार विमर्श कर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि जिलावार निर्धारित शय्या की संख्या एवं उपयुक्त स्थान चयन कर अतिरिक्त छः सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित किया जाय। अतिरिक्त सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों (CBWTFs) की स्थापना के सम्बन्ध में विमर्श करने हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में इस पर विचार-विमर्श प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। अतिरिक्त CBWTFs सरकारी जमीन में अथवा निजी जमीन में स्थापित करने तथा जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (BMW) के उपचार हेतु शुल्क आदि की निर्णय के साथ-साथ वर्तमान में संचालित चारों सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों (CBWTFs) के आलोक में अवधि विस्तार तथा पुनःरीक्षित शुल्क निर्धारण पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) में विमर्श कर निर्णय लिया जाय।

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (BSPCB) द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में भोजपुर जिला के अर्न्तगत एक Treatment, Storage and Disposal Facility स्थापित किया गया है, जिसमें जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) की भी सुविधा है। इस CBWTF की क्षमता क्रमशः (i). Incinerator- 250kg/hr (ii) Autoclave-1250Litre/Batch (iii) Shredder- 250Kg/hr है। यह CBWTF Treatment, Storage and Disposal Facility का अंग है जो संचालन के लिए तैयार है।

(कार्रवाई-राज्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं बि0रा0प्र0नि0 पर्षद्)

(5) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन समर्पित करने में कुछ तकनीकि कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् राज्य स्तर पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जमा करने में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को जो कठिनाईयाँ उत्पन्न होगी उसे राज्य पर्षद् द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का निदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है।

(अनुपालन-राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं वि0रा0प्र0नि0 पर्षद्)

(6) राज्य पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रति आवेदन शुल्क के रुप में रु0 2000/- देय है जिसका भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया जाना है। विहित शुल्क जमा करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यय होने वाली राशि का आवंटन कर सभी सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं जिसमें APHCs/HSCs भी सम्मिलित है इत्यादि के लिए शुल्क अदायी करने का निदेश दिया गया था। परन्तु अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया जा सका है। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति को निदेशित किया गया कि इसका क्रियान्वयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई-राज्य स्वास्थ्य समिति)

(7) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार हेतु संचालित Captive Treatment System के Upgradation नहीं होने के कारण जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का समुचित उपचार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार करना संभव नहीं है। इसलिए जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु राज्य पर्षद् के पत्रांक B-52 दिनांक 13.01.2022 द्वारा उक्त Captive Treatment System को बंद करने का निदेश पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को निर्गत किया गया था साथ ही यह भी निदेशित किया गया था कि पी0एम0सी0एच0, पटना से जनित होने वाले

जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का निपटान हेतु मेसर्स संगम मेडिसर्व प्रा0लि0, पटना से शीघ्र संबंद्ध (Tie-up) स्थापित कर जनित होनेवाले जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का निपटान सुनिश्चित किया जाना था। पी0एम0सी0एच0, पटना द्वारा इसका अनुपालन अभी तक नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित प्राचार्य श्री विद्यापति चौधरी, पी0एम0सी0एच0, पटना को निदेशित किया गया कि संस्थान से जनित होनेवाले जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाय।

(अनुपालन-पी0एम0सी0एच0)

(8) राज्य में संचालित चार सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों एवं तीन Captive Treatment Facilities जो क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, कटिहार एवं किशनगंज में स्थित है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर O.A.No.- 180/2021 में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के क्रम में दिनांक 22.02.2022 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना की अध्यक्षता में प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य में स्थित सभी CBWTFs केन्द्रों का नियमित रुप से निरीक्षण राज्य स्तरीय संयुक्त जाँच दल द्वारा किया जाय। राज्य स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त जाँच दल गठित किया गया है। संयुक्त जाँच दल जिसमें राज्य पर्षद् के दो वैज्ञानिक एवं एक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के प्रतिनिधि, प्राधिकारी जो जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, सदस्य के रुप में शामिल हैं। संयुक्त जाँच दल द्वारा संयुक्त रुप से राज्य में स्थित सभी CBWTFs केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाये गये त्रुटियों के आधार पर उन सात इकाईयों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस राज्य पर्षद् के पत्रांक संख्या 1667 से 1673 दिनांक 30.06.2022 द्वारा निर्गत किया गया। कारण बताओं नोटिस का जबाव प्राप्त है। राज्य स्तरीय समिति के द्वितीय बैठक दिनांक 04.08.2022 को संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया है कि राज्य में स्थित सभी सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्रों एवं Captive Treatment Facilities के निरीक्षण हेतु गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा नियमित रुप से प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य निरीक्षण किया जाय तथा निरीक्षण के दौरान पाये गये कमियों को दूर करने हेतु उनके विरुद्ध सुसंगत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई-राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बि0रा0प्रा0नि0 पर्षद्)

(9) सरकारी एवं गैर-सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाएँ, जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त किये हैं एवं बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवैध रुप से संचालित है कि जिलावार सूची तैयार करने का निदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है। तैयार किया गया दोनो प्रकार के सूची को अलग-अलग सी0डी0 में संधारित करने का भी निदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि सी0डी0 (सूची को) कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की दिशा में पहल किया जाय। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को निदेश दिया गया कि बिना प्राधिकार प्राप्त किये राज्य में स्थित कोई भी सरकारी एवं गैर-सरकारी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का संचालन को यथाशीघ्र बंद करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन-राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं बि0रा0प्र0नि0 पर्षद्)

(10) सदस्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय समिति को सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2021 को अपराह्न 04:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र की स्थापना संबंधित समीक्षा की गई। विस्तृत चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि पटना जिलें में एक अतिरिक्त सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र की स्थापना की जाय तथा इस हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरुप यथाशीघ्र Expression of Interest (EoI) जारी किया जाय। जारी किये जाने वाले Expression of Interest (EoI) में सरकार द्वारा सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र की स्थापना हेतु चिन्हित भूखण्ड के अतिरिक्त यदि कोई प्रस्तावक निजी जमीन पर भी सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र स्थापित करना चाहता है तो उसका भी विकल्प दिया जाय। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, द्वारा सूचित किया गया है कि एक उद्यमी द्वारा पटना जिला में अपने निजी जमीन में सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र (CBWTF) स्थापित करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (BSPCB) से विमर्श कर भूखण्ड का चिन्हित कर, उक्त सुविधा की स्थापना हेतु पर्यावरर्णिय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन SEIAA, Bihar में समर्पित किया गया है तथा उनको Terms of Reference निर्गत किया गया है।

(कार्रवाई-राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार)

(11) कोईलवर, भोजपुर में एक Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) M/s Resustainability Limited द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस TSDF में Incinerator की क्षमता-250Kg/hr, Autoclave की क्षमता-1250Litre/Batch एवं Shredder की क्षमता-250Kg/hr है। यह Dry Scrubbing Incinerator System Technology के आधार पर कार्य करता है। यह एक Integrated Facility इकाई है। इस Integrated Facility द्वारा जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का भी उपचार एवं निपटान किया जा सकता है। यह इकाई भी एक सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र के रुप में कार्य करने के लिए सक्षम है। इस इकाई द्वारा संचालन सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य पर्षद् को समर्पित किया गया है। राज्य पर्षद् द्वारा उक्त सहमति आवेदन पर विचार कर यथोचित निर्णय लेने की ओर अग्रसर है।

(अनुपालन- बि0रा0प्र0नि0 पर्षद्)

(12) अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक हर माह पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

ह0/-

(के0 सेन्थिल कुमार)

सचिव,

स्वास्थ्य विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक: पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव,

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।

ज्ञापांक: B- 2195 पटना, दिनांक :- 18.08.2022

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारियों, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का नियमित रुप से अनुश्रवण किया जाय तथा आपके अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLMC) की बैठकों को नियमित रुप से आयोजन किया जाय ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (NGT) के आदेश उल्लंघन का मामला नहीं हो।

18/8/22

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव,

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।